MSME
MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम

सत्यमेव जयते
Government of India
Development Commissioner(MSME)
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

निविदा

एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर कार्यालय की अनुपयोगी स्टाफ कार एम्बेसेडर पंजीयन नंबर सीजी 04 बी–1073 को "जैसा है जहाँ है" की स्थिति में स्क्रैप वैल्यू पर विक्रय किया जाना है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ये निविदाएं निदेशक, एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर के नाम से संबोधित होकर दिनांक 29/10/2020 सायंकाल 4.00 बजे तक निदेशक, एमएसएमई–विकास संस्थान, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भनपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, पोस्ट–बीरगांव, रायपुर (छ.ग.)–493221 पर प्राप्त हो जानी चाहिए । डाक द्वारा भेजी गई निविदाएं भी निर्धारित तिथि व समय के पूर्व ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएं दिनांक 29/10/2020 सायंकाल 5.00 बजे खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता या उनके एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

स्टाफ कार का विवरण	स्टॉफ कार (Ambassador, CG04 B-1073)
तादात	01 नग
स्थान जहाँ सामान स्थित है	कार्यालय परिसर, एमएसएमई–डीआई, भनपुरी रायपुर

नियम व शर्तें :

1.	सामान का निरीक्षण एमएसएमई–विकास संस्थान, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भनपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर (छ.ग.) में प्रातः 11.30 बजे से सायं. 4.30 बजे तक कार्यदिवस में पूर्वानुमति से किया जा सकता है।
2.	निविदा भरते समय सामान की कीमत अंकों तथा अक्षरों में अंकित की जानी चाहिए, जिसमें भिन्नता पाये जाने पर अथवा कटा–पिटी या अस्पष्ट होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
3.	निविदा के साथ पार्टी को पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि में से कोई एक पहचान–पत्र की फोटोकापी लगाना आवश्यक है।
4.	सफल निविदाकर्ता को विक्रय आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 10 कार्यदिवस के भीतर विक्रत माल की पूरी राशि डिमांड ड्राफ्ट PAO (MSME), Mumbai (payable at Mumbai) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विक्रय आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।
5.	निविदा राशि जमा करने के पश्चात निपटान किए गए सामान को उपरोक्त दर्शाये संस्थान (एमएसएमई–डीआई, रायपुर) के उक्त पते से 10 कार्यदिवस के भीतर स्वयं के खर्च से उठाना होगा।
6.	निपटान किए गए सामान के सफल निविदाकर्ता को सामान उठाते समय अपना मूल पहचान प्रमाण पत्र (जिसकी फोटोकापी निविदा के साथ लगाई गई हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7.	सक्षम अधिकारी/निदेशक/प्रभारी, एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर को बगैर कारण बताये किसी भी निविदा अथवा विक्रय आदेश को स्वीकृत या अस्वीकृत या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(डी. डी. गजभिये)
उपनिदेशक/प्रशासन
एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर
मो.नं. 9425365700